पत्रक

निदेशक, नगर विकास,
हरियाणा,चण्डीगढ।

सेवा में

राज्य के सभी उपायुक्त।

यादि क्र0 सी0टी0पी0-02/ए/ 4९८00-18
दिनांक 1/10/02

विषयः - नगरपरिषद भूमि तहबाजारी पर देने बारे।

उपरोक्त विषय इस निदेशालय के पत्र क्र0 6ए-2000/35261-331 दिनांक 27.9.02 के संदर्भ में।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के पत्र यादि क्र0 8/146/87-202 दिनांक 8.10.87 से हिदायत जारी की थी कि कुछ नगरपालिकाओं ने सरकार की हिदायतों के जारी होने के बाद भी पुरानी चली आ रही तहबाजारी को वर्ष 1987 के बाद समाप्त नहीं किया और पुरानी तहबाजारी अभी भी कई नगरपरिषदों/पालिकाओं में चलती आ रही है।

सरकार ने अपने यादि क्र0 8/96/82-2क्र2 दिनांक 16.7.84 द्वारा हिदायत जारी करते हुये निर्देश दिये थे कि भविष्य में खोखा रखने के लिये नगरपालिका की भूमि तहबाजारी पर न दी जाये। अगर भूमि देना नगरपालिका के हित में समझा जाता है तो इस स्थिति में Movable encrochment or overhanging structure bye laws 1976 में दी गई व्यवस्था अनुसार दी जाये और केवल वही भूमि तहबाजारी पर दी जाये जिस पर खोखा रखने में यातायात में कोई बाधा न आती हो। इसके बाद सरकार द्वारा यादि क्र0 8/89/84-2क्र2 दिनांक 4.4.85 से पुनः हिदायत जारी करते हुये निर्देश दिये कि नगरपालिकाओं द्वारा तहबजारी पर दी गई भूमि के केरिज को जारी रखने हेतु Indent करें, यदि ऐसे केरिज में मामूली सी भी रूकावट की सम्भावना हो तो ऐसी तहबाजारी को बंद कर दिया जाये। प्रायः यह देखा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को नई तहबाजारी दी जाती है तो उसकी प्रवृति नगरपालिका की भूमि पर स्थाई तौर पर काबिज रहने की होती है। इस प्रवृति को रोकने के लिये निर्णय लिया गया है कि भविशय मे भूमि तहबाजारी पर न दी जाये। सिर्फ भूमि त्यौहारों के अवसरों पर ही भूमि

अधिक से अधिक 7 दिन के लिये तहबाजारी पर दी जाये । जहां तक उस भूमि को जो पहले से तहबाजारी पर चली आ रही है, लीज में बदलने का प्रश्न है इस संबंध में ऐसे प्रत्येक केस को प्रशासक/प्रधान नगरपालिका मेरिट पर एक्सामिन करें और जहां पर तहबाजारी को लीज में कन्वर्ट करना है, मामला उचित माध्यम से सरकार को स्वीकृति के लिये भेजें । लीज की दरें पचलित मार्किट रेट के साथ लिंक होनी चाहिये । सरकार की हिदायतों से स्पष्ट होता है कि पुरानी तहबाजारी जिसे जारी रखा जाना है को लीज में कन्वर्ट करने के आदेश स्पष्ट थे । राज्य की सभी नगरपरिषदों/पालिकाओं को एक बार पुनः निर्देश दे दिये जायें कि यदि उनकी पालिका में कोई तहबाजारी का केस है और उसे लीज में कन्वर्ट किया जाना है तो उपायुक्त के माध्यम से केस अलग तैयार करके भेजें । इन हिदायतों के जारी होने के बाद किसी भी पालिका में पुरानी या नई तहबाजारी का कोइ केस शेष न रह जाये ।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उस तहबाजारी को तुरंत समाप्त कर दिया जाये जिससे यातायात में थोड़ा सी भी रूकावट हो या सम्भावना हो । सिर्फ उसी तहबाजारी को लीज में कन्वर्ट करने के लिये प्रस्ताव भेजा जाये जो कि उचित हो सभी केसों की जांच उपरांत प्रस्ताव भेजें ।

जिला नगर योजनाकार
कृते: निदेशक, नगर विकास, हरियाणा

पृ०क्र० सी०टी०पी०/10/02 दिनांक

एक-2 प्रति हरियाणा राज्य के सभी कार्यकारी अधिकारियों/नगर ... सचिवों को तुरंत आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

जिला नगर योजनाकार
कृते: निदेशक, नगर विकास, हरियाणा